कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 1762 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 23/01/.2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

विषयः– जनपद–नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/157397/2022)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/54/2022/एफ.सी./1323 दिनांक 03.01.2023 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1615/FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनांक 04.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद–नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/54/2022/एफ.सी./1323 दिनांक 03.01.2023 की कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी.06/54/2022/एफ.सी./1323 दिनांक 03.01.2023 में दर्ज शर्त संख्या	Items	Rate (in Rs/ hac)	Area (in hac)	Amount (in rupees)	विवरण
1	शर्त संख्या 3 के अनुसार	प्रतिपूरक वनीकरण	4,07,992.00	33.40	1,36,26,932.80	कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1459/ 3–5–2 दिनांक 01.07.2021।
2	शर्त संख्या 5 (क) के अनुसार	NPV (Net Present Value)	12,28,590.00	16.69	2,05,05,167.10	कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी का पत्रांक र–4347/ 12–1 दिनांक 10.03.2022।

Scanned with CamScanner

3	शर्त संख्या 08 के अनुसार	Penal NPV (Penal Net Present Value		1.8495	2,45,718.00	इस कार्यालय के पत्रांक 727 शि0/12–1 दिनांक 08.10.2022।
				Total Amount:		**Rs. 3,43,77,818.00*** **(तीन करोड़ तैंतालीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अठारह मात्र)**

**** नोट– यदि किसी भी कारणवश जमा किये जाने वाली धनराशि में संशोधन होता है, तो आपके कार्यालय को संशोधित धनराशि के सम्बन्ध में अवगत करा दिया जायेगा साथ ही आपके कार्यालय को संशोधित धनराशि मान्य होगी।***

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र में दर्ज बिन्दु सं0: 11 में दिये गये निर्देशानुसार जमा करवाते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्येक शर्त में मदवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0: 1762 /12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0: 1762 /12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, किच्छा एवं हल्द्वानी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
2. वन क्षेत्राधिकारी, रूद्रपुर, टाण्डा, भाखड़ा एवं हल्द्वानी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
3. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, परियोजना इकाई–हल्द्वानी, रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0ऑ0– बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल–263139।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

DFO TARAI CENTRAL/ LAND TRANSFER/DOC

Scanned with CamScanner

~~2812~~

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड नैनीताल।

टेलीफैक्स: 05942-236218, e-mail:ccfkum-forest-uk@nic.in

पत्रांकः 3011 / 12-1 नैनीताल, दिनांक 25/02 2022

10575
12-1
14/03/2022

सेवा में,

समस्त वन संरक्षक,
कुमाऊँ मण्डल।

विषयः— Date and stage of application of the revised rates of Net Present Value (NPV)-reg.

संदर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कलौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1833 / 1जी–5066(भा0स0 दिशा निर्देश) दिनांक 21.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति के साथ सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित निर्देशों अनुपालनार्थ वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में अपने नियत्रणाधीन प्रभागीय वनाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कलौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अवगत कराते हुये इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त
नैनीताल,
पंजीकरण सं० 4347
प०आ० सं० 12-1
दिनांक 02-3-22

भवदीया,

(डॉ0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड नैनीताल।

संख्या–3011 (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कलौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड नैनीताल।

संख्या–3011 (2)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, कुमाऊँ मण्डल को उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

R.No-4347 / 12-1 दि0 10-3-22
प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय वनाधिकारी पश्चिमी वृत्त को मय संलग्नक के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(डॉ0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील)
मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड नैनीताल।

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1833 /1जी–5066 (भा0स0 दिशा निर्देश) देहरादून:दिनांक 21 जनवरी, 2022

सेवा में,

1 मुख्य वन संरक्षक,
(गढवाल) उत्तराखण्ड, पौडी।

2 मुख्य वन संरक्षक,
(कुमाऊँ,) उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय:– Date and Stage of application of the revised rates of Net Present Value (NPV)-reg.

संदर्भ:– सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022। (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। पत्र में उल्लिखित बिन्दु के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण जिनमें 06.01.2017 से पूर्व सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा 06.01.2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की नयी दरों को इस कार्यालय के पत्रांक 1657/1–41(IV) दिनांक 07.01.2012 द्वारा समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रसारित किया जा चुका है, जिसकी प्रति अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ अपने क्षेत्रान्तर्गत वन प्रभागों को एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या 1833 / 1जी–5066 (भा0स0 दिशा निर्देश) दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
******

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 19th January, 2022

To

The Additional Chief Secratry (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All State Governments and Union Territory Administrations

Sub: Date and stage of application of the revised rates of Net Present Value (NPV)- reg

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 6.01.2022 wherein revised rates of NPV were conveyed to all State Govts/UTs and to inform that the revised rates of NPV are applicable for all proposals, where:

i. In-principle approval under Section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 has been obtained after 06.01.2022, or

ii. In-principle approval under Section 2 (ii) of the FC Act was obtained more than five years ago, i.e. on or before 06.01.2017, but Stage–II approval has not been obtained as on 06.01.2022.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:
1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments and Union Territory Administrations
2. The Regional Officer, All integrated Regional Offices of the MoEF&CC
3. The Nodal Officer (FCA), All State Governments and Union Territory Administrations
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard File

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

File No.5-3/2011-FC(Vol-I)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
******

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 6th January, 2022

To

The Additional Chief Secretary (Forest)/Principal Secretary (Forest),
All States Governments/ Union Territory Administration

Sub: Revision of rates of Net Present Value – reg

Sir,

I am directed to invite your attention to Hon'ble Supreme Court's order dated 28.03.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1996 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India and Ministry' guidelines dated 05.02.2009 wherein rates to Net Present Value (NPV) to be realized in lieu of diversion of forest land have been fixed based on the outcome scientific assessment of ecosystem goods and services. Hon'ble Supreme Court in the said order has also directed the MoEF&CC for upward revision of the NPV rates.

2. In compliance of order dated 28.03.2008 of Hon'ble Court and with the approval of the competent authority, the following revised NPV rates have been prescribed for levying NPV in lieu of diversion of forest land:

Table: Revised NPV rates based on fitment factor of 1.53

(in Rs.)

Eco-Class	Very Dense	Dense	Open
Class-1	1595790	1436670	1116900
Class-II	1595790	1436670	1116900
Class-III	1357110	1228590	957780
Class- IV	957780	861390	670140
Class-V	1436670	1292850	1005210
Class-VI	1516230	1372410	1069470

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Eco-Class-I: Tropical Wet Evergreen Forests,
Tropical Semi-evergreen Forests and
Tropical Moist Deciduous Forests

Eco-Class-II: Littoral and Swamp Forests

Eco-Class-III: Tropical Dry Deciduous Forests

Eco-Class-IV: Tropical Torn Forests and
Tropical Dry Evergreen Forests

Eco-Class-V: Sub-tropical Broad-Leaved Hill Forests,
Sub-Tropical Pine Forests and
Sub-Tropical Dry Evergreen Forests

Eco-Class-VI: Montane Wet Temperature Forests,
Himalayan Moist Temperature Forests,
Himalayan Dry Temperature Forests,
Sub Alpine Forest,
Moist Alpine Scrub and
Dry Alpine Scrub

3. NPV shall be charged to the extent of ten times of the normal NPV payable in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, the amount shall be five times the NPV payable for the adjoining forest area;

4. The proposals under the following categories are exempted from NPV to the extent as mentioned in the list below:

Category	Conditions
i. Schools	Full exemption upto 1 ha. of forest land, provided: a. no felling of trees is involved; b. alternate forest land is not available; c. the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and d. the area is outside National Park/ Sanctuary
ii. Hospitals	
iii. Children's playground of non-commercial nature.	
iv. Community centres in rural areas.	
v. Over-head tanks	
vi. Village tanks	
vii. Laying of underground drinking water, irrigation and PNG pipeline upto 4 inch diameter	
viii. Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

ix. Relocation of villages form the National Parks/ Sanctuary to alternate forest land	Full exemption
x. Collection of boulders/silts from the river belts in the forest area.	Full exemption, provided:- (a) area is outside National Park/ Sanctuary; (b) no mining lease is approved/signed in respect of this area; (c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee; (d) the activity is necessary for conservation and protection of forests; and (e) the sale proceeds are used for protection/conservation of forests.
xi. Laying of underground optical fiber cable	Full exemption, provided: (a) no felling of trees is involved; and (b) area falls outside National Park / Sanctuary.
xii. Pre-1980 regularization of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF&CC's Guidelines dated 18.9.1990.
xiii. Underground mining	(see table below)

Surface strain predicted by 3-D subsidence prediction model	**NPV to be paid**
i. Up to 5mm/m	NIL
ii. 5mm to 10 mm/m	10% of normal rates
iii. 10mm/m to 15 mm/m	25% of normal rates
iv. 15 mm/m to 20 mm/m	50% of normal rates
v. more than 20 mm/m	At Normal rates

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

xiv.Wind Power Projects	50% at the minimum NPV rate, provided, minimal tree felling is involved, irrespective of the eco-class in which the project lies.
xv.Hydroelectric Projects up to 25 MW capacity	50% of the applicable rates of the forest land actually diverted for setting up of such projects, provided, the project involves felling of not more than 5 trees per hectare.
xvi.Field Firing Range (FFR) of Defence Ministry not involving felling of trees and no likelihood of destruction of forests	At the rate of 20 % of the normal rates of NPV for the forest areas falling within the impact zone. The forest areas falling within safety zone of FFRs shall be fully exempted from the requirement of payment of NPV
xvii.The area of riverbed in a proposed water reservoir, that is to be under permanent submergence throughout the year	50 per cent of the normal rate applicable to the area.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Asst. Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments/UTs
2. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State Governments/UTs
3. The Regional Officer, All Integrated Regional Offices of the MoEF&CC
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEFCC, New Delhi
5. Guard File

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

85 राजपुर रोड, फोन 0135-2746934 फैक्स 0135-2741630 Mail Id. pccfuk@gmail.com

संख्या 1459 /3-5-2 P.O देहरादूनः 01 -07-2021

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या क-972/3-5-2(III) दिनांक 21-11-2017

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण, 1.00 है0 से कम के प्रकरणों में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की 10 गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु एवं मलवा निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगाई जाती है। अतः उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 में प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों का निर्धारण किया गया था। जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रति वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान भी था। (पताका-क)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौनी प्रजाति के वृक्षों के रोपण, मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के रोपण की दरें सन् 2020-21 तक निर्धारित की गई हैं। (पताका-ख)

अतः वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0 (रू0 में)	बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण की दर प्रति है0 (रू0 में)	रोड साईड वृक्षारोपण की दर प्रति किमी0 (रू0 में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा0 (रू0 में)
2021-22	370902.00	370902.00	556128.00	1464 प्रति वृक्ष
2022-23	407992.00	407992.00	611741.00	1610 प्रति वृक्ष
2023-24	448791.00	448791.00	672915.00	1771 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के वित्तीय वर्ष के अनुसार परियोक्ता एजेन्सियों से धनराशि जमा कराई जाये, परन्तु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय वर्ष में निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(1) प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय वनाधिकारी पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) प्रतिलिपि सहायक लेखाकार पश्चिमी वृत्त।
(3) प्रतिलिपि गार्ड बुक।

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

उत्तराखण्ड वन विभाग

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 727 शि0 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 08.10.2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर–मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की कार्यवृत्त सं0:– RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/919 दिनांक 03.10.2022 एवं कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र सं0 944 / 20–40–(REC) दिनांक 06.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य में वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा आयोजित आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 30.09.2022 के कार्यवृत्त सं0– RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/919 दिनांक 03.10.2022 में उल्लेखित आपत्तियों का उत्तरालेख के क्रम में चाही गयी सूचना के अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था (परियोजना प्रबन्धक, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, परियोजना इकाई–हल्द्वानी, रौतेला कॉलोनी, हल्द्वानी, नैनीताल) द्वारा पूर्व से निर्मत विषयांकित मोटर मार्ग को इस वन प्रभाग के टाण्डा रेन्ज एवं भाखड़ा रेन्ज में दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रकरण संज्ञान में आने के उपरान्त तत्काल प्रभाव से काम रूकवाकर कार्यदायी संस्था के विरूध वन अपराध पंजीकृत किये गये। प्रभाग स्तर से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत कुल 05 वन अपराध पंजीकृत किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

(i) भाखड़ा रेन्ज के अन्तर्गत कुल 03 वन अपराध पंजीकृत किये गये। वन अपराध सं0 03/ भाखड़ा/2022–23 दिनांक 11.06.2022, वन अपराध सं0 04/भा०/2022–23 दिनांक 11.06.2022 एवं वन अपराध सं0 05/भा०/2022–23 दिनांक 11.06.2022।

(ii) टाण्डा रेन्ज के अन्तर्गत कुल 02 वन अपराध पंजीकृत किये गये। वन अपराध सं0 06/टाण्डा/2022–23 दिनांक 13.06.2022 एवं वन अपराध सं0 07/टाण्डा/ 2022–23 दिनांक 14.06.2022।

उक्त पंजीकृत वन अपराधों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा कुल 1.8495 है0 वन भूमि में मिट्टी खोद दी गयी तथा किसी भी वृक्ष का पातन एवं शाख तराशी नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा श्री तपन सरकार, उप वन क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी को नामित कर अग्रिम जाँच करायी गयी। श्री तपन सरकार, उप वन क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी की जाँच अनुसार उक्त वन अपराधों में दर्ज कराये गये तथ्य सही पाये गये है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनको भूमि की वैधानिक स्थिति का ज्ञान न होने के कारण

Scanned with CamScanner

कार्य आरम्भ किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा अपना वन अपराध स्वीकार करते हुए अपने पत्र सं0 1343/ब्रिडकुल/विविध/2022 दिनांक 12.09.2022 (**संलग्नक: 1**) से जुर्माना धनराशि जमा करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

Assistant Inspector General of Forest (FC), FC Division Ministry of Enivronment, Forest and Climate Change, Government of India द्वारा अपने पत्रांक 5/2017– FC दिनांक 28.03.2019 से जारी Handbook of guidelines For effective and Transparent Implementation of Forest Conseravtion Act, 1980 के प्रस्तर सं0 1.21.(ii) (**संलग्नक: 2**) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार हैः–

"a. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.

b. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (a) above. Widening even if such forest land falls within the existing RoW will require prior approval of the Central Government under the FC Act, 1980".

उक्त में प्रकरण में जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट एवं समस्त साक्ष्य को घ्यान में रखते हुए प्रभागीय कार्यालय द्वारा समस्त पंजीकृत वन अपरोधों के सापेक्ष जुर्माने की धनराशि रू0 2,45,718.00 तय की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माने की धनराशि का प्रशमन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

<u>सं0: 727 शि0/12–1 उक्तदिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः–

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, परियोजना इकाई–हल्द्वानी, रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0ऑ0–बड़ी मुखानी, हल्द्वानी, नैनीताल–263139।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

o/c

Scanned with CamScanner

GOVERNMENT OF INDIA

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः 1615 /FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनॉकःदेहरादूनः 4. जनवरी, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर।

विषयः– जनपद–नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष, 1980 से पूर्व निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर–मदकोटा हल्द्वानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–05) मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/54/2022/एफ0सी0/1323 दिनांक 03–01–2023 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में समस्त उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करवाकर अधिरोपित शर्तों की विन्दुवार परिपूर्ण अनुपालन आख्या **इस कार्यालय के पत्रांक 226 दिनांक 23–07–2021 में दिये गये प्रारूप के अुनसार (प्रश्न एवं उत्तर कालम बनाकर) प्रेषित करना सुनिश्चित करें,** ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1615 / FP/UK/ROAD/157397/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, जनपद–नैनीताल को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03–01–2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, जनपद–ऊधमसिंह नगर को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03–01–2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03–01–2023 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की परिपूर्ण अनुपालन आख्या ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

04/01/23
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

Scanned with CamScanner

...RNMENT OF INDIA

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 54 / 2022 / एफ.सी. | 1323   दिनांकः03 / 01 / 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। रू(Online Proposal no. FP/UK/Road/157397/2022)

सन्दर्भः– उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–786 / X-3-22/1(43)/2022 दिनांक 22.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30.09.2022 को हुई बैठक में संस्तुति एवम् प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति के उपरांत **जनपद– नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर—मदकोटा हल्द्वानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर कुल 33.40 हे0 (दक्षिणी गदगदिया–82 में 27.40 हे0 + पीपलपडाव 10 अ में 6.00 हे0) अवनत वन भूमि पीपलपडाव राजि, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**

ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

Scanned with CamScanner

ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाइल, सी0ए क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **16.69** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 352 trees and 228 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

8. **State Govt. will levy Penal NPV against the area of 1.8495 ha used in violation of Forest (Conservation) Act, 1980 in accordance with the provisions of the guidelines provided under para 1.21 of the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.**

9. **State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.**

10. **State Govt. will conduct an enquiry and submit a report to IRO, Dehradun so that, this office may take penal action as per the provisions of Section 3A and 3B the Forest (Conservation) Act, 1980 against the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.**

11. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/द्ध के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितः जमा किए जाएंगे।

12. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

13. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

Scanned with CamScanner

14. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।
15. नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
16. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
18. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
20. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
21. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
22. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
23. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
25. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
26. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
27. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
28. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

Gairola 2/1/23

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी

Scanned with CamScanner